"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 मई 2009—ज्येष्ठ 1, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-23/2002/1/6 (7).—छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्र. 30 सन् 2002) की धारा 17 की उपधारा (1) सहपठित धारा 4 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त (सेवा की शर्तें), नियम 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"9. **अवकाश :—**

(1) (एक) प्रमुख लोकायुक्त सत्तर दिवस पूर्ण भत्ते पर एवं नब्बे दिवस अर्द्ध भत्ते पर अर्जित अवकाश के हकदार होंगे.

(दो) लोकायुक्त चालीस दिवस पूर्ण भत्ते पर तथा नब्बे दिवस अर्द्ध भत्ते पर अर्जित अवकाश के हकदार होंगे.

परंतु यह और कि लोकायुक्त, जो लोकायुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति के समय केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में थे, लोकायुक्त के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से, उसके खाते में जमा अवकाश अग्रणित हो जाएगा तथा वह ऐसे अवकाश का लोकायुक्त के कार्यकाल में उपभोग कर सकेगा.

(2) अधिकतम अर्जित अवकाश एक समय में 150 दिवस स्वीकृत किया जा सकेगा.

(3) प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त एक वर्ष में पन्द्रह दिवस आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे.

(4) अन्य प्रकार के अवकाश के संबंध में प्रमुख लोकायुक्त अपने पद धारण करने के ठीक पूर्व उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जिस न्यायिक पद का धारण कर रहे थे उसी न्यायिक पद के लिये प्रचलित/लागू नियम द्वारा शासित होंगे.

इसी प्रकार लोकायुक्त भी अपने पद धारण करने के ठीक पूर्व जिस पद पर पदस्थ थे उसी पद के लिये प्रचलित/लागू नियम द्वारा शासित होंगे.

(5) प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त सेवानिवृत्ति की तारीख पर अधिकतम 300 दिवस के अध्यधीन उनके जमा अर्जित अवकाश की कालावधि के संबंध में अवकाश वेतन के बराबर नगद के हकदार होंगे.

(6) यदि लोकहित में अथवा लोक सेवा की अत्यावश्यकता को देखते हुए, प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त सेवानिवृत्ति के पूर्व अवकाश को अग्रहित करते हों, तो उन्हें ऐसे अग्रहित के लिए अधिकतम 120 दिवस तक के अवकाश के लिए प्रतिकर स्वीकृत किया जाएगा तथा ऐसा प्रतिकर उप नियम (7) में दी गई रीति से प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त को यथास्थिति जितना जल्दी संभव हो सके, समान मासिक किस्तों में जो चार से अधिक नहीं होगी भुगतान किया जाएगा.

(7) (क) उपनियम (6) में निर्दिष्ट प्रतिकर की गणना प्राथमिकता से पृथक से संगणित की जाएगी :—

(एक) अवकाश वेतन की राशि यथास्थिति प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त द्वारा निकाल ली जाएगी, यदि अवकाश अग्रहित नहीं किया गया है, तथा

(दो) पेंशन (ग्रेच्युटी के बराबर पेंशन सहित) जो यथास्थिति प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त को मिलती हो, अवकाश अग्रहित किए जाने की कालावधि के बराबर कालावधि के लिए पद छोड़ने की तारीख से दिया जायेगा.

(ख) खण्ड (क) के मद (दो) में निर्दिष्ट पेंशन की कुल राशि खण्ड (क) के पैरा (एक) में निर्दिष्ट अवकाश वेतन की कुल राशि से कटौती की जाएगी तथा शेष, यथास्थिति प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त को उपधारा (6) के अधीन देय प्रतिकर की राशि देय होगी.

10. **अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी :—** प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त के अवकाश को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या प्रतिसंहृत करने या कम करने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी होंगे.

11. **देय पेंशन :—** प्रमुख लोकायुक्त को, प्रमुख लोकायुक्त के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में उस दर पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा जो दर उस न्यायिक पद के लिये लागू है जिस पर प्रमुख लोकायुक्त अपने पद धारण करने के ठीक पूर्व पदस्थ रहे हों.

परंतु लोकायुक्त, जो अपनी नियुक्ति के समय केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा में थे, उस सेवा के लिए लागू नियम के अधीन पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करेंगे जिस सेवा में वे ऐसी नियुक्ति के तत्काल पूर्व थे :

परंतु यह भी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति/न्यायाधीशों के लिए निर्धारित पेंशन की अधिकतम सीमा प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त के रूप में की गयी सेवा के लिए पेंशन के निर्धारण में लागू नहीं होंगे :

परंतु यह और भी कि प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त कोई पेंशन प्राप्त नहीं करेंगे यदि वे सेवा से हटा दिए गए हो :

12. **पेंशन का सरांशीकरण :—** प्रमुख लोकायुक्त के पद पर पदस्थ व्यक्ति अपने पद धारण करने के ठीक पूर्व जिस न्यायिक पद पर पदस्थ रहे उसी न्यायिक पद के लिये प्रचलित/लागू पेंशन के सारांशीकरण संबंधी नियम उनके लिये लागू होंगे.

इसी प्रकार लोकायुक्त के पद पर पदस्थ व्यक्ति अपने पद धारण करने के ठीक पूर्व जिस पद को धारित करते थे उसी पद के लिये प्रचलित/लागू पेंशन के सारांशीकरण संबंधी नियम उनके लिये लागू होंगे.

13. **पेंशन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी :—** छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त के पेंशन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे.

14. **यात्रा भत्ता :—** प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त अपने कर्त्तव्य के दौरान भारत की सीमा के भीतर यात्रा में किए गये खर्च की प्रतिपूर्ति के लिये युक्तियुक्त प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करेंगे तथा ऐसी युक्तियुक्त सुविधाएं प्राप्त करेंगे जो उस पद के लिए तत्समय अनुज्ञेय है जिस पर यथास्थिति प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त अपने पद धारण करने के ठीक पूर्व पदस्थ थे.

परंतु प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी प्रथम नियुक्ति के समय अपने तथा अपने परिवार सहित अपने सामान्य निवास स्थान से रायपुर की यात्रा में किए गए वास्तविक खर्च के साथ ही अपनी सेवानिवृत्ति पर वापसी यात्रा हेतु वायुयान, रेल या मोटरयान द्वारा की गयी यात्रा के लिए भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे. इसके अतिरिक्त वे सड़क या रेलमार्ग द्वारा सामान परिवहन में किए गए वास्तविक खर्च प्राप्त करने के भी हकदार होंगे :

परंतु यह और भी कि प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त की पद के दौरान मृत्यु हो जाने पर, उसके परिवार के सदस्य प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त, यथास्थिति मुख्यालय से उसके गृह नगर उसके परिवार द्वारा यात्रा में तथा उसके सामान के परिवहन में किए गए वास्तविक खर्च प्राप्त करने के लिए इस शर्त पर हकदार होंगे कि ऐसी यात्रा यथास्थिति प्रमुख लोकायुक्त अथवा लोकायुक्त की मृत्यु की तारीख से छः माह के भीतर की गयी हो.

15. **अवकाश यात्रा रियायत :—** प्रमुख लोकायुक्त एवं लोकायुक्त ऐसी अवकाश यात्रा रियायत की सुविधा के हकदार होंगे जो उस पद के लिये अनुज्ञेय है जिस पद पर यथास्थिति प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त अपने पद धारण करने के ठीक पूर्व पदस्थ थे.

16. **निःशुल्क एवं सुसज्जित आवास सुविधा :—**

(1) प्रमुख लोकायुक्त एवं लोकायुक्त बिना किराया भुगतान के, ऐसे नियमों के अनुसार जो उस पद के संबंध में प्रचलित/लागू है जिस पद पर यथास्थिति प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त अपने पद धारण करने के ठीक पूर्व पदस्थ थे, निःशुल्क सुसज्जित कार्यालयीन आवास उपयोग करने के हकदार होंगे.

(2) जहां प्रमुख लोकायुक्त एवं लोकायुक्त को निःशुल्क सुसज्जित आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है या कार्यालयीन आवास नहीं दिया गया है, तो वे इसके बदले में उस पद के लिये स्वीकार्य अनुसार मासिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिस पद पर यथास्थिति प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त अपने पद धारण करने के ठीक पूर्व पदस्थ थे.

(3) प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त को उनके आवास में जल एवं विद्युत खर्च उस पद के लिए स्वीकार्य अनुसार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा जिस पद पर यथास्थिति प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त अपने पद धारण करने के ठीक पूर्व पदस्थ थे.

17. **वाहन सुविधा :—** प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त, शासकीय कार में कार्यालयीन यात्रा के दौरान पेट्रोल के उपभोग को छोड़कर प्रतिमाह (200) लीटर की सीमा तक निःशुल्क पेट्रोल के हकदार होंगे.

18. **परिलब्धियां आयकर से अपवर्जित होंगी :—** प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त को उपलब्ध, बिना किराए भुगतान के सुसज्जित आवास तथा वाहन सुविधा पर आयकर से छूट प्राप्त होगी जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि प्रमुख लोकायुक्त, लोकायुक्त यथास्थिति के प्रोद्भूत आय, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए उसकी आय थी.

19. **भविष्य निधि :—** प्रमुख लोकायुक्त एवं लोकायुक्त, भविष्य निधि के विनियमित नियमों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि अभिदाता होंगे जैसा कि वे प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति के पूर्व अभिदाता थे.

20. **सत्कार भत्ता :—** प्रमुख लोकायुक्त एवं लोकायुक्त उस पद के लिये स्वीकार्य अनुसार सत्कार भत्ते के हकदार होंगे, जिस पद पर यथास्थिति प्रमुख लोकायुक्त या लोकायुक्त अपने पद धारण करने के ठीक पूर्व पदस्थ थे.

2. छत्तीसगढ़ प्रमुख लोकायुक्त तथा लोकायुक्त, 2008 का नियम 9, 21 के रूप में संख्यांकित है.

3. ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2009

क्रमांक एफ 1-23/2002/1/6 (7).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-23/2002/1/6 (7) दिनांक 22-05-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 22nd May 2009

NOTIFICATION

No. F 1-23/2002/1-6 (7).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 17 read with sub-section (6) of section 4 of the Chhattisgarh Lok Aayog Adhiniyam, 2002 (No. 30 of 2002), the State Government hereby makes the following amendment to Chhattisgarh Pramukh Lokayukt and Lokayukt (conditions of service) Rules, 2008, namely :—

AMENEDMENT

In the said rules :—

1. After rule-8, the following rule shall be inserted, namely :—

"9. **Leave :—**

(1) (i) The Pramukh Lokayukt shall be entitled to earned leave for seventy days on full allowance and ninety days on half allowance ;

(ii) The Lokayukt shall be entitled to earned leave for forty days on full allowance and for ninety days on half allowance :

Provided further that the lokayukt, who at the time of his appointment as lokayukt were in the service of the Central or a State Government, the leave standing to his credit on the date of his appointment as Lokayukt shall be carried forward and he may avail of such leave during his tenure as lokayukt.

(2) The maximum earned leave that may be granted at any one time shall be 150 days.

(3) Pramukh lokayukt and lokayukt shall be entitled to casual leave of fifteen days in a year.

(4) In the matter of all other types of leave the Pramukh lokayukt shall be governed by the rules/practices as were applicable to the judicial post of Supreme Court or High Court which he was holding just before his joining the post.

Likewise the Lokayukt also shall be governed by the rules/practices as were applicable to the post he was holding just before his joining the post.

(5) The Pramukh lokayukt and lokayukt shall be entitled to cash equivalent to leave salary in respect of the period of earned leave at their credit on the date of retirement subject to a maximum of 300 days.

(6) If in public interest or due to exigencise of public service, the Pramukh lokayukt or lokayukt is refused leave preparatory to retirement, he shall for the hardship caused by such refusal, be granted compensation for leave so refused upto maximum of 120 days of leave refused and such compensation determined in manner laid down in sub rule (7) and paid to the Pramukh lokayukt or lokayukt as the case may be, as nearly as possible, equal monthly installments, not exceeding four.

(7) (a) The compensation referred to in sub-rule (6) shall be computed in the first place calculating separately :—

(i) Amount of leave salary that the Pramukh lokayukt or lokayukt as the case may be, would have drawn, if the leave had not been refused; and

(ii) The pension (inclusive of the penison equivalent of gratuity) which the Pramukh lokayukt or lokayukt as the case may be is getting, shall be given for a period equivalent to the period of leave refused from the date of vacating the office.

(b) The total amount of pension referred to in item (ii) of clause (a) shall next be deducted from the total amount of leave salary referred to in para (i) of clause (a) and the balance shall be amount of compensation payable to under sub-rule (6) to the Pramukh lokayukt or lokayukt as the case may be.

10. **Authority competent to grant leave :—** The authority competent to grant or refuse leave to the Pramukh lokayukt or the lokayukt, or to revoke or curtail leave granted to them, shall be the Governor of Chhattisgarh.

11. **Pension Payable :—** The Pramukh lokayukt shall be paid pension at the rates applicable to the judicial post which the Pramukh Lokayukt was holding just before joining his post, for each completed year of rendering services as Pramukh Lokayukt.

Provided that the Lokayukt who, at the time of his appointment was in Central/State Government service shall get the pension and retirement benefits under the rules applicable to the services to which he belonged immediately before such appointment :

Provided also that the maximum limit fixed for pension for the Chief Justice/Judge of Supreme Court or High Court, shall not be applicable for fixation of pension for the services rendered as Pramukh lokayukt or Lokayukt :

Provided further that the Pramukh lokayukt and Lokayukt shall not receive any pension if he has been removed from that office.

12. **Commutation of pension :—** The rules of commutation of pension which were applicable to the judicial post held by Pramukh lokayukt just before his joining as Pramukh Lokayukt, shall be applicable.

Likewise the same rules of commutation of pension which were applicable to the post which the Lokayukt was holding just before his joining as Lokayukt, shall be applicable.

13. **Authority competent to grant pension :—** The authority competent to grant pension to the Pramukh Lokayukt and lokayukt shall be the Governor of Chhattisgarh.

14. **Travelling allowance :—** The Pramukh lokayukt and lokayukt shall receive such reasonable allowances to reimburse expenses incurred in travelling on duty within the territory of India and shall be afforded such reasonable facilities as admissible to the post which the Pramukh Lokayukt/ Lokayukt was holding just before his joining as Pramukh Lokayukt/Lokayukt :

Provided that a person appointed as Pramukh Lokayukt or Lokayukt shall be entitled to receive as travelling allowance, the actual expenditure incurred on the journey for self and his family members from the place of his ordinary resident to Raipur at the time of joining after being appointed as pramukh Lokayukt/Lokayukt as well as for the journey back to his home town on retirement, by Air, rail or motor Vehicle. Further, he shall be entitled to actual expenditure incurred for the transportation of luggage by Road or Rail :

Provided further that in the event of the death of the Pramukh lokayukt or the Lokayukt while in office, the members of his family shall be entitled to the actual expenditure incurred on the journey of the family and for the transportation of their luggage from the headquarters to the home town of the Pramukh lokayukt or the Lokayukt as the case may be, on the fulfillment of the condition that the journey is performed within six months of the date of death of the Pramukh lokayukt or the Lokayukt, as the case may be.

15. **Leave Travel concession :—** The Pramukh lokayukt and Lokayukt shall be entitled to such facility of leave travel concession as were admissible to the post held by the Pramukh Lokayukt or Lokayukt as the case may be just before his joining the post.

16. **Facility of rent free and furnished accommodation :—**

(1) The Pramukh lokayukt and Lokayukt shall be entitled, for rent free furnished official accommodation as per rules/practices applicable to the post in which Pramukh lokayukt/ Lokayukt was posted just before his joining the post as such.

(2) Where Pramukh lokayukt and Lokayukt have not been provided rent free furnished accommodation or official accommodation, in lieu thereof, they shall be entitled for a monthly allowance as admissible to the post, the Pramukh lokayukt or Lokayukt was posted just before his joining the post.

(3) The expenditure on water and electricity at residential accommodation of Pramukh lokayukt and Lokayukt shall be borne by the State Government as were admissible to the post, the Pramukh lokayukt/Lokayukt was posted just before his joining the post.

17. **Conveyance Facility :—** The Pramukh lokayukt and Lokayukt shall be entitled to use Government vehicle free of cost, with the limit of (200) litres petrol per month excluding the petrol consumed during official tours.

18. **Perquisites to the exclusive of income tax :—** The rent free furnished official residence and conveyance facility provided to the Pramukh lokayukt and Lokayukt shall be free from income tax which shall be payable by the State Government as if the income accruing therefrom to the Pramukh lokayukt or Lokayukt as the case may be, were his only income for the purpose of Income Tax Act, 1961 (No. 43 of 1961).

19. **Provident Fund :—** The Pramukh lokayukt and Lokayukt shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund in accordance with the rules regulating the Provident Fund to which they were subscribing before their appointment as Pramukh lokayukt and Lokayukt.

20. **Sumptuary Allowance :—** The Pramukh lokayukt and Lokayukt shall be entitled to Sumptuary Allowance as admissible to the post which the Pramukh lokayukt or Lokayukt was holding just before his joining the post."

2. Rule 9 of the Chhattisgarh Pramukh lokayukt and Lokayukt, 2008 be re-numbered as 21.

3. It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.